फर्द अहकाम

पूनम कंवर बनाम सरकार

ना पत्र संख्याः 61 /2024

ा	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	04.04.2024	प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् जमाबन्दी में नाम दुरूस्त करवाने का पेश किया। बहस प्रार्थीया सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीया ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीया ने ग्राम टोडी रमजानीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 56 रकबा 0.57 हैक्टयर में से रकबा 0.08 हैक्टयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 23 जनवरी 2013 ईस्वी को श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री जितेन्द्र पाल सिंज से क्रय की है। उक्त विक्रयपत्र में प्रार्थीया का नाम श्रीमती पूरम कवर भायल धर्मपत्नि श्री कल्याण सिंह भायल लेख्य किया गया है। प्रार्थीया ने राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि का तकासमा कराने बाबत नकल प्राप्त की तो प्रार्थीया को पता चला की राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम पूनम कवर भायल के स्थान पर पूनम कर्वर भाभला अंकित कर दिया गया है। अतः श्रीमान की सेवा में विक्रयपत्र की फोटोस्टेट प्रति प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में पूनम कवंर भाभला के स्थान पर पूनम कवर भायल धर्मपत्नि श्री कल्याण सिंह भायल शुद्ध कराये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। बहस प्रार्थीया व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम टोडी रमजानीपुरा, पटवार हल्का जगतपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लूनियावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित हाल खाता संख्या 31 पुराना खाता संख्या 32 स्थित खसरा नम्बर 56 में प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड मे पूनम कवंर भामला के स्थान पर पूनम कवर भायल धर्मपत्नि श्री कल्याण सिंह भायल अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार संगानेर को दिये जाते है। आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर को तहरीर हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर रो का बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:22:26 IST
Reason: SelfAttested